उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-518/2024/1183(1)/41-1-2024-001-CN-1803919-2024
लखनऊ:: दिनांक 31 मार्च, 2024

शुद्धि-पत्र

जनपद बुलन्दशहर के विधानसभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित भगवान श्री किशन तालाब मंदिर के पर्यटन विकास कार्य के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-516/2024/1183/41-1-2024-001-CN-1803919-2024, दिनांक 31-03-2024 के प्रस्तर-4 में अंकित धनराशि "रूपये 33,01,000 लाख (रूपये तैंतीस लाख एक हजार मात्र)" के स्थान पर **"रूपये 33,01,000 (रूपये तैंतीस लाख एक हजार मात्र)"** एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 31.03.2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।